बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग,

# कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

## (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC-79

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी,
   भोजपुर वन प्रमंडल, आरा।
2. कार्यपालक अभियन्ता,
   राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
   पथ निर्माण विभाग, गुलजारबाग,
   पटना।

पटना, दिनांक– 25/01/2018

विषय – भोजपुर जिलान्तर्गत NH-30 आरा पूर्वी गुमटी (LC No. 48A33T) पर प्रस्तावित (118.089-119.572 KM) कुल लंबाई 1.483 कि०मी० का ROB निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.823 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/26357/2017/1912 दिनांक 18.01.2018

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 1.823 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है–

1. परियोजना निर्माण के क्रम में 1.823 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 11,41,198/– (रूपये ग्यारह लाख एकतालीस हजार एक सौ अनठानवें) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण एवं विभाग को उपलब्ध कराएगी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त्त संख्या–4 के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 32,72,366/– (रूपये बत्तीस लाख बहत्तरह हजार तीन सौ छियासठ) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

3. **उपर्युक्त NPV एवं CA मद की कुल राशि रू० 44,13,564/– (रूपये चौवालीस लाख तैरह हजार पाँच सौ चौसठ) मात्र को e-challan के माध्यम से Ad-hoc Body of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) in A/C Name CAF Bihar (A/C No. SB01025201, Corporation Bank CGO, Complex, Phase-1, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 IFSC No. CORP0000371) में RTGS/NEFT द्वारा फंड ट्रांस्फर कर जमा कराया जायेगा।**

4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित कंडिका 1 से 15 में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने का कष्ट करें ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

25/01/18

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।